कार्यवाही विवरण 337

IInd Meeting

360
16/3/99

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 27-1/85/16-ब भोपाल, दिनांक --मार्च--/1999.

प्रति,

(1) मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर म०प्र०शासन (मंत्रालय) भोपाल.

(2) सचिव, श्रम विभाग म०प्र०शासन (मंत्रालय) भोपाल) -सदस्य.

(3) प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा म०प्र०शासन, (मंत्रालय) =सदस्य

(4) प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म०प्र०शासन (मंत्रालय) -सदस्य

(5) प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, म०प्र०शासन-सदस्य

(6) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म०प्र०शासन-सदस्य

(7) अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सदस्य पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल।

(8) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित चार विशेषज्ञ :-

(क) - कार्यपालन निदेशक, आपदा प्रबंध संस्थान, पर्यावरण परिसर -ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल.

(ख) कार्यपाल निदेशक, बी०एच०ई०एल०, भोपाल-सदस्य

(ग) जनरल मैनेजर, इण्डियन आयल कार्पोरेशन (बाटलिंग प्लांट) बकानिया, बैरागढ़ भोपाल-सदस्य.

(घ) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, भोपाल-सदस्य (रासायनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष-श्री ए०के०सिंह, रसायन. प्रो०

(9) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, म०प्र०शासन (मंत्रालय-भोपाल,-सदस्य.

(10) निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमायुक्त कार्यालय, मोती बंगला इन्दौर.

(11) प्रमुख अग्निशमन, म०प्र० विंध्याचल भवन के पीछे, भोपाल -सदस्य

(12) डायरेक्टर जनरल पुलिस सदस्य

(13) श्री एम०के०चौधरी, प्रेसीडेंट डायमण्ड सीमेंट नरसिंहगढ़ जिला-दमोह.

विषय:- राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन हेतु आपदा समूह की बैठक दिनांक 23/2/99 की बैठक के कार्यवाही विवरण।

--x--

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार स्थित समूह-द्वितीय बैठक दिनांक 23/2/99 के बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार.

MS/CE [T]/CE [ ] ... [E]
SSO [PR] SSO [CE] ... /A.L.O.

9/3

(शमीम बानो)
अवर-सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग

15/3

C.P.C.

518

राज्य संकट स्थिति समूह - द्वितीय बैठक दिनांक 23-2-99
-कार्यवाही विवरण-

एजेण्डा बिन्दु कमांक 1

1. राज्य संकट स्थिति समूह की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23-2-99 को भोपाल में आयोजित हुई जिसमें उपस्थित अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री एस0सी0 त्रिपाठी, पुलिस महानिदेशक
2. श्री ए0व्ही0 सिंह, सचिव, परिवहन
3. श्री सत्यानन्द मिश्रा, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण
4. डॉ0 संदीप खन्ना, सचिव, वाणिज्य और उद्योग
5. श्रीमती अंशु वैश्य, सचिव स्वास्थ्य
6. श्री आय0एस0दाणी, सचिव, श्रम
7. श्री प्रसन्न दाश, श्रमायुक्त
8. श्री ए0पी0श्रीवास्तव, कार्यपालक संचालक आपदा प्रबंध संस्थान
9. श्री व्ही.के. जैन, अध्यक्ष, प्रदुषण नियंत्रण मण्डल
10. श्री एस0डी0वर्मा, संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा.
11. श्री आर0जी0 पाण्डेय, उप श्रमायुक्त, भोपाल

राज्य संकट स्थिति समूह की प्रथम बैठक दिनांक 24-8-98 की कार्यवाही विवरण प्रसारित कराये जाने के उपरान्त इसमें संशोधन हेतु अथवा अन्य टिप्पणी प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

2. सचिव, श्रम द्वारा दिनांक 24-8-98 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. सचिव, श्रम द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि समस्त जिला/स्थानीय संकट स्थिति समूह का गठन हो चुका है तथा समस्त समूहों की प्रथम बैठक आयोजित की जा चुकी है फिर भी केमिकल्स एक्सीडेन्ट रूल्स, 1996 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्थानीय समूहों की प्रतिमाह एवं जिला समूहों की प्रति 45 दिवस में बैठक आयोजित नहीं की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि श्रम सचिव द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस बाबत् सख्त निर्देश दिये जाय।

519

4. जिला/स्थानीय संकट स्थिति समूह के सदस्यों के उन्मूखीकरण/प्रशिक्षण हेतु यह प्रस्तावित किया गया कि आपदा प्रबंध संस्थान, भोपाल एवं श्रम विभाग (संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं रायपुर में किया जाय। जिसमें जिलों के निम्नलिखित अधिकारी को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाय:-

1- जिलाध्यक्ष
2- पुलिस अधीक्षक
3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी
4- नगर निगम आयुक्त
5- प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षैत्रीय अधिकारी
6- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
7- जिलाध्यक्ष द्वारा नामांकित दो गैर शासकीय सदस्य

आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा इस संबंध में होनेवाले व्यय को वहन करने की स्वीकृति प्रदान की है।

उपरोक्त प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. आफ साइट एमर्जेन्सी प्लान-प्रगति विवरण

भारत सरकार से प्राप्त नवीन मार्गदर्शिका के आधार पर 24 जिलों में जहां एम.ए.एच. कारखाने स्थापित है, के आफ साइट प्लान के पुनरीक्षण दिनांक 31-3-99 तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक निम्नलिखित 9 जिलों - 1. ग्वालियर. 2. गुना. 3. भिंड. 4. जबलपुर. 5. सीधी. 6. पन्ना. 7. शहडोल. 8. सतना. 9. रतलाम का पुनरीक्षित आफ साइट इमर्जेन्सी प्लान प्रस्तुत किया गया है। संबंधित जिला संकट स्थिति समूह द्वारा इन योजनाओं का समीक्षा तथा ऑपचारिक अनुमोदन उपरान्त इसकी समीक्षा संचालक, आद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा की जावेगी तथा समीक्षा टीप राज्य संकट स्थिति समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

6. आन साइट इमरर्जेसी प्लान- प्रगति विवरण

पूर्व में प्रदेश में 77 मेजर हेजार्ड इकाई चिन्हित की गई थी। अब प्रदेश में मेजर हेजार्ड कारखानों की संख्या 84 हो गई है। इनमें से 69 कारखानों के ऑन साईट आपात योजनाओं को

339

अंतिम रूप दिया जा चुका है। जबकि शेष 15 इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आपात योजनाओं की समीक्षा मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा की जाकर आपात योजना के संशोधन तथा परिवर्धन हेतु सुझाव दिये गये है। इन समस्त आपात योजनाओं को 31-3-99 तक अंतिम रूप से अधिसूचित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रमुख सचिव, परिवहन द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि एम.ए.एच. इकाईयों द्वारा आनसाईट आपात योजना तैयार कर प्रस्तुत की जा चुकी है तथो इन योजनाओं में संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मत में कोई कमी रह गयी हो तो इस कमी को संचालनालय स्तर पर ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। मुख्य सचिव ने जहां तक संभव हो, इसी प्रकार की कार्यवाही संचालनालय स्तर पर करने के निर्देश दिये है।

7. आफ साइट इमरजेन्सी प्लान- गुना बाबत् समीक्षा

संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा गुना जिले की आफ साइट इमरजेन्सी योजना का एक संक्षिप्त समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रमुख सचिव, परिवहन ने गुना जिले में स्थापित तीनों एम.ए.एच. इकाईयों में रसायनों के भण्डारन बाबत् दी गयी जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि करने हेतु सुझाव दिया । उन्होने मत व्यक्त किया कि इन इकाईयों द्वारा भारी मात्रा में रसायन भण्डारन किया जाता है। रसायन दुर्घटना की स्थिति में इसका व्यापक असर होना संभावित है इससे प्रभावित होने वाली जन संख्या मात्र 10,000 बताया गया है संभवत: इन कारखानों के आस-पास स्थित ग्रामीण जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि आवश्यक है। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट रूट में वैकल्पिक रूट नहीं दिखाया गया है।

आफ साईट इमरजेन्सी योजना में डिजास्टर कंट्रोल कमेटी में जिला स्तरीय अथवा संभाग स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है, जबकि दुर्घटना स्थल से काफी दूरी पर स्थित अधिकारी वास्तविक दुर्घटना के समय तात्कालीक कार्यवाही हेतु उपलब्ध नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा गुना जिले के संयोजक एवं सदस्य सचिव है, जबकि उनका मुख्यालय ग्वालियर है। अत: उनके स्थान पर मुख्य नगर पालिक अधिकारी के सदस्य सचिव तथा संयोजक बनाया जाना बेहतर होगा। इसी प्रकार अध्यक्ष, जयारोग्य हास्पिटल, ग्वालियर के स्थान पर स्थानीय चिकित्सक को सदस्य बनाया जा सकता है। समस्त जिलों के डिजास्टर कन्ट्रोल कमेटी के सदस्य प्रस्तावित करते समय यह ध्यान रखा जाय कि दुर्धटना की स्थिति में तात्कालिक कार्यवाही हेतु निकटतम मैदानी अधिकारी इस समिति में रहे।

प्रमुख एम.ए.एच. इकाईयों के आन साइट योजना के मुख्य बिन्दुओं का समावेश जिले के आफ साईट आपात योजनाओं में किया जाय।

577

पुलिस ने यह सुझाव दिया कि टाटा कन्सल्टेन्सी ग्रुप द्वारा बडोदा (गुजरात) हेतु एक जिला आफ साइट आपात योजना तैयार की गयी है जो कि माडेल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

जिला गुना हेतु तैयार की गयी आफ साइट आपात योजना की समग्र समीक्षा करने के उपरान्त यह पाया गया कि यह संतोषजनक ढंग से नहीं बनाया गया है। प्रमुख सचिव, परिवहन ने सुझाव दिया कि गुना जिले हेतु एक माडेल आफ साइट आपात योजना एन.एफ.एल. गुना की सहायता ली जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि गुना जिले का आफ साइट योजना एन.एफ. एल. गुना, जिला कलेक्टर एवं संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये जाय जो कि अन्य जिलों की योजना तैयारी हेतु मार्गदर्शिका होगी।

8. अन्य संबंधित बिन्दुओ पर चर्चा उपरान्त बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. वर्तमान में प्रदेश में कुल 84 एम.ए.एच. कारखाने स्थापित है जिसमें से 69 कारखानों के आन साइट आपात योजना अंतिम रूप से अधिसूचित किये जा चुके है। शेष 15 एम.ए.एच. इकाईयों के ऑन साइट आपात योजना को दिनांक 31-3-99 तक अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिया जावे।

2. 41-बी - कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 617 खतरनाक श्रेणी के कारखानें चिन्हित किये गये है इन कारखानों में से 472 कारखानों के आन साईट प्लान के समीक्षा की जाकर अंतिम रूप से अधिसूचित किया जा चुका है शेष 145 कारखानों के आपात योजना 30. 9.99 तक अंतिम रूप से अधिसूचित किया जावे।

3. प्रदेश के 24 जिलों में एम.ए.एच. कारखानें स्थापित है। इन समस्त जिलो में आफ साईट आपात योजनाएं तैयार करवाई जाकर संबंधित जिला संकट स्थिति समूहों से इसका अनुमोदन 31.3.99 तक कराये जावे।

4. जिला आफ साईट आपात योजना की तैयारी पुनरीक्षण एवं कियान्वयन हेतु आवश्यक वार्षिक व्यय बाबद केमिकल एक्सीडेन्ट रूल्स, 1996 में विशेष प्रावधान कर जिलों में स्थित एम. ए.एच. इकाईयों से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रावधान का प्रस्ताव एम.ओ.ई.एफ. भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। इसके साथ-साथ राज्य स्तर पर खतरनाक कारखानों की अनुज्ञप्ति शुल्क में यथोचित वृद्धि की जाकर इस राशि को विभागीय बजट के माध्यम से जिला कलेक्टरों को उपलब्ध कराने हेतु श्रम विभाग, वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

340
A

5. विभागीय सुदृढ़ीकरण बाबद बिना राज्य शासन के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार निर्मित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाए। कारखाना के अनुज्ञप्ति शुल्क में युक्तियुक्त वृद्धि कर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा विभिन्न स्तर पर स्थापित संकट स्थिति समूहों के कृत्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु प्रस्ताव रखा जाए। अनुज्ञप्ति शुल्क में वृद्धि हेतु प्रस्ताव रखते समय नियम में ही यह प्रावधान भी सम्मिलित किया जाए कि प्रति तीन वर्ष में एक निश्चित प्रतिशत में अनुज्ञप्ति राशि में स्वत: वृद्धि हो सकेगी।

6. रसायनिक दुर्घटनाओं के प्रबंधन हेतु अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की प्रस्तुत सूची पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि श्रम विभाग (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) आवास एवं पर्यावरण विभाग (प्रदुषण नियंत्रण मण्डल एवं आपदा प्रबंध संस्थान) की एक संयुक्त समिति गठित कर राज्य स्तर पर उपलब्ध अधिकाधिक विशेषज्ञों की सूची संकलित की जाए। राज्य के बाहर उपलब्ध प्रमुख विशेषज्ञों को भी इस सूची में सम्मिलित करने पर विचार किया जाए। सूची प्रकाशित किये जाने से पूर्व प्रस्तावित विशेषज्ञों / अधिकारियों से सहमति तथा बायोडेटा प्राप्त कर लिया जाए।

7. जिला/ स्थानीय संकट समूह को अधिक तत्पर एवं गतिशील बनाया जाए। इस हेतु श्रम सचिव संबंधित संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दें।

8. राज्य संकट स्थिति समूह की प्रत्येक बैठक में विगत तीन माहों में राज्य में गठित रसायन दुर्घटनाओं के बाबद विस्तृत समीक्षात्मक टीप प्रस्तुत की जाए जिसमें कि दुर्घटना का कारण, दुर्घटना के उपरान्त आन साइट, आफ साइट आपात योजना के अन्तर्गत की गई कार्यवाही तथा उसकी पर्याप्तता आदि का आकलन किया जाए। इसके अतिरिक्त उल्लंघन आदि बाबद वैधानिक कार्यवाही का विवरण भी दिया जाए।

9. प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण ने यह सुझाव दिया कि समस्त एम.ए.एच. कारखानों द्वारा उन कारखानों के आसपास तथा प्रभाव क्षेत्र में निवास करने वाले जनसामान्य की जानकारी हेतु स्थानीय भाषा/बोली में एम.ए.एच. कारखानों की दुर्घटनाओं की संभावनाओं का विवरण दिया जाए तथा दुर्घटना घटित होने की स्थिति में जनसामान्य को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए (Do's and Don't's) समिति द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समस्त संबंधित इकाईयों को इस बाबद निर्देश प्रसारित करें तथा पालन सुनिश्चित कराएं।

10. यह निर्णय लिया गया कि प्रदुषण नियंत्रण मण्डल में इमरजेन्सी रिसपॉन्स सेंटर (ERC) स्थापित है। अत: यद्यपि केमिकल एक्सीडेन्ट रूल्स, 1996 के अन्तर्गत रसायनिक दुर्घटना प्रबंध का प्रमुख दायित्व अब श्रम विभाग (औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय) को सौपा गया है

फिर भी केन्द्र शासन की सहायता से पूर्व से प्रदुषण नियंत्रण मण्डल में ERC स्थापित किया जा चुका है। अत: आवास एवं पर्यावरण विभाग (प्रदुषण नियंत्रण मण्डल) में स्थापित ERC ही स्टेट इमरजेन्सी रिसपॉन्स अथॉरिटी के रूप में कार्य करे।

मुख्य सचिव को धन्यवाद के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

* * *